

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक :- एफ.37(25)पंरावि/प्रशा-2/मंत्रा/स्थाना.-पद/06/2024/200 जयपुर,दिनांक:- 22.02.2024

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद- झुंझुनू, चित्तौडगढ एवं उदयपुर।

विषय :- कनिष्ठ सहायकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन बाबत।
प्रसंग:- विभागीय पत्राक 199 दिनांक 22.02.2024।


उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रांक के द्वारा कनिष्ठ सहायकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी किये जाने हेतु आपको निर्देशित किया गया है, उक्त निर्देशों के क्रम संख्या 149 एवं 224 पर वर्णित कनिष्ठ सहायकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम	कहा से	कहा को	आंशिक संशोधन
149	पिंकी	कनिष्ठ सहायक	पंचायत समिति नवलगढ झुंझुनू	विलोपित किया जाता है।
224	अन्तिमबाला	कनिष्ठ सहायक	प.स. बडीसादडी चित्तौडगढ	विशेष विवरण में अंकित जिला उदयपुर के स्थान पर जिला चित्तौडगढ पढा जावे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


नोट :-

- 1- उक्त सूची में यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण/पदस्थापन कार्मिक के सही नाम एवं पदनाम से है।
- 2- यदि कोई कार्मिक माननीय न्यायालय/अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे।
- 3- यदि किसी कार्मिक की परिवीक्षाधीन अवधि समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे कार्मिक का पदस्थापन/स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया जावे।
- 4- यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण किसी अन्य कार्मिक के स्थान पर किया जा रहा है, तो प्रभावित कार्मिक को अन्य निकटतम पंचायत समिति में पदस्थापित किया जावे।
- 5- यदि कोई कनिष्ठ सहायक निलंबित चल रहा है तो उसका स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किये जावें।


(रविन्द्र कुमार शर्मा)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
- 2-विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 3-निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 4-निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर
- 5-अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित।
- 6-एसीपी मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 7-आदेश पत्रावली।


अतिरिक्त आयुक्त एवं
शासन उप सचिव-प्रथम